न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
139 / 2023	2023 / 1162	04.10.2023	16.01.2024

उनवान प्रकरण

किशनसिंह दत्तक पुत्र पेमसिंह आयु 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

—— वादी ——

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

—— प्रतिवादी ——

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

दावा बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1160, 1161, 1162, 1163, 1194, 1199 कुल किता 6 कुल रकबा 5.[illegible] तन ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0 में स्थित हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:53 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह) 16/01/24
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जिसमें हिस्सा 1/6 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है परन्तु वादी की वल्दियत के पिता का नाम सहवन से पेमसिंह के स्थान पर पेपसिंह दर्ज है जो गलत हैं। उक्त वर्णित भूमि वादी के पिता का नाम पेपसिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो केवल मात्र सहवन व लेखनी की अशुद्धि से राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत नाप दर्ज हो जाने की वजह से दर्ज हुआ है जो सही नही हैं। वादी के आधार कार्ड, वोटर आई.डी. व वादी के अन्य दर्ज कृषि भूमिया जिनका खाता संख्या 204 तन ग्राम नाथूसर व खाता संख्या 441 तन् ग्राम रतनपुरा में वादी की वल्दियत में सही नाम किशनसिंह पुत्र पेमसिंह है जो सही रूप से दर्ज हैं। वादी भारतीय सेना में सेवानिवृत व्यक्ति हैं। जिसको पूर्व में गलत दर्ज वल्दियत बाबत कोई जानकारी नही रही हैं ना ही इसकी कभी कोई आवश्यकता ही महसुस हुयी परन्तु दिनांक 20.09.2023 को वादी पटवारी हल्का नाथूसर के यहां किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु सम्पर्क किया व रिपोर्ट करने बाबत कहां तो पटवारी हल्का द्वारा यह कहा गया कि आपके पिता का नाम दो खातो में पेमसिंह दर्ज हैं व उक्त वर्णित भूमि में दर्ज पेपसिंह दर्ज हैं। इस कारण आपकी वल्दियत शुद्ध होने पर ही किसान केडिट कार्ड बन सकेगा अन्यथा नही तब वादी ने इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भी निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय में जरिये वाद ही शुद्धि होने बाबत कहा। इस कारण वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वादी की गलत दर्ज वल्दियत से वादी को सख्त हकतल्फी हैं। राज्य सरकार द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादी को वंचित रहना पडता हैं। इस कारण भी वादी की वल्दियत उक्तानुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं। इसी कारण वादी को यह वादपत्र न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादी ने यह वादपत्र दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न रूपेण डिकी फरमाये जाने का निवेदन किया है कि कृषि भूमी खसरा नम्बर 1160, 1161, 1162, 1163, 1194, 1199 कुल किता 6 कुल रकबा 5.94 हैक्टर तन ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे वादी की वल्दियत में किशनसिंह दत्तक पुत्र पेपसिंह के स्थान पर किशनसिंह दत्तक पुत्र पेमसिंह दर्ज किये [illegible] स्वीकृति दी जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम पेपसिंह के [illegible] दर्ज करवाया जाकर इसी अनुसार राजस्व रकार्ड में शुद्धि दर्ज करायी जाकर रिकार्ड में अमल कराया जावें। वाद वास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:53 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय का मुख्य परीक्षण में किशनसिंह दत्तक पुत्र पेमसिंह एंव वादी साक्ष्य गवाह में पृथ्वीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में भू0 अ0 निरीक्षक मउ से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जो भू0 अ0 निरीक्षक मउ के द्वारा प्राप्त हुई। प्रकरण में भू0अ0 निरीक्षक मउ से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 तीन जमाबन्दीयॉ, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भू0 अ0 निरीक्षक वृत्त मउ द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व [illegible]वाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय का मुख्य परीक्षण में किशनसिंह दत्तक पुत्र पेमसिंह एंव वादी साक्ष्य गवाह में पृथ्वीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। भू0 अ0 नि[illegible] ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1160, 11[illegible] 1183, 1194, 1199 कुल किता 6 कुल रकबा 5.94 हैक्टर तन ग्राम रतनपुरा प[illegible]र हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:53 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मे दर्ज खातेदार किशनसिंह दत्तक पुत्र पेपसिंह हिस्सा 1/6 के पिता पेपसिह के स्थान पर पेमसिंह दर्ज करवाना चाहता है अर्थात पिता का नाम पेपसिंह गलत दर्ज है। ग्राम नाथूसर की जमाबन्दी खाता संख्या 204 व ग्राम रतनपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 441 में पिता का नाम पेमसिंह दर्ज होने तथा मजमे ए आम में जानकारी ली जाने पर किषनसिंह दत्तक पुत्र पेमसिंह सही नाम होने तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम नाथूसर व रतनपुरा में नहीं होना अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया गया है। वादी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी के पिता का नाम पेमसिंह दर्ज है। वादी का राजस्व रिकार्ड में अंकन विरासत के हुआ है। जो विरासत के बाद लगातार चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड के दर्ज वादी के पिता का नाम पेपसिंह व पेमसिंह एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग–अलग व्यक्ति नहीं हैं। अतः भू0 अ0 निरीक्षक मउ द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी के पिता का नाम किशनसिंह दत्तक पुत्र पेपसिंह के स्थान पर किशनसिंह दत्तक पुत्र पेमसिंह राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1160, 1161, 1162, 1163, 1194, 1199 कुल किता 6 कुल रकबा 5.94 हैक्टर तन ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे वादी की वल्दियत में किशनसिंह दत्तक पुत्र पेपसिंह के स्थान पर किशनसिंह दत्तक पुत्र पेमसिंह दर्ज किये जाने की डिक्री की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम पेपसिंह के स्थान पर पेमसिंह दर्ज करवाया जाकर इसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:53 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्व रिकार्ड में शुद्धि की जाकर घोषणा की जाती है तथा वादपत्र में सन्दर्भित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में किशनसिंह दत्तक पुत्र पेपसिह के स्थान पर किशनसिंह दत्तक पुत्र पेमसिंह का नाम राजस्व अभिलेख राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:06:53 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)